उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 49/ 2002/30-3-14-32एम/2013टी0सी0
लखनऊ, दिनॉक 24 जुलाई, 2014

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 138 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित सरकारी अधिसूचना संख्या-41/1577/30-3-14-32एम/2013टी0सी0, दिनॉक 16 जून, 2014 द्वारा गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष नियमावली,2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनॉक से प्रवृत्त होगी।
सडक सुरक्षा कोष की स्थापना और उपभोग के सम्बन्ध में।	2-	(1) उत्तर प्रदेश में सडक सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और सडक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक कोष की स्थापना की जायेगी जिसे उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष के नाम से जाना जायेगा। (2) इस कोष में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जायेगा :- (क) समस्त राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और नगरीय मार्गों पर वाहनों के सुरक्षित संचरण एवं मार्ग उपभोक्ताओं के सुरक्षित संचालन हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाना, (ख) दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन एवं उनके लिये सुधार के उपाय करना, (ग) सडक दुर्घटना के ऑकडे एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना, (घ) वाहन चालन हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु कदम उठाना, (ङ) यातायात नियमों की जानकारी देना एवं जनसामान्य में इस हेतु जागरूकता पैदा करना, (च) सड़क दुर्घटनाओं के प्रवर्तन और नियंत्रण हेतु संयंत्रों की व्यवस्था करना।
परिभाषायें	3-	जब तक किसी सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :- (क) "कोष" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष" से है। (ख) "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य एक कैलेन्डर वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिवस से प्रारम्भ बारह मास की होने वाली अवधि से है। (ग) "अधिनियम" का तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 से है। (घ) "राज्य" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश राज्य" से है।

कोष का लेखा वर्गीकरण एवं वित्तीय प्रक्रिया	4-	(1) एक पृथक उपशीर्ष "03-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष" खोलकर इस कोष को स्थापित किया जायेगा जो लेखाशीर्ष "8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ-200-अन्य निधियॉ-03-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष" के अधीन होगा। (2) कोष को अन्तरित की जाने वाली धनराशि को गृह (पुलिस) विभाग की अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाएगा जिसे लेखाशीर्ष "2055-पुलिस-797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष को अन्तरण-48-अन्तर्लेखा संक्रमण और अनुदान संख्या-43 के परिवहन विभाग के लेखाशीर्षक "3055-सडक परिवहन-797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष को अन्तरण-48-अन्तर्लेखा संक्रमण" के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जायेगा। (3) कोष से उपरोक्त उद्देश्यों पर व्यय हेतु आवश्यक प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग की अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्ष "2055-पुलिस-800-अन्य व्यय-15-उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" और "4055-पुलिस पर पूॅजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-13-उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष से व्यय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" और परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्षक "3055-सडक परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" तथा "5055-सडक परिवहन पर पूॅजीगत परिव्यय- 800-अन्य वयय-05-उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष से व्यय-26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र" के अन्तर्गत किया जायेगा। होने वाले व्यय को एक ही समय उपर्युक्त कार्यात्मक शीर्ष के नामे डाला जायेगा और उस व्यय को कार्यात्मक शीर्ष भाग-4 के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जायेगा तथा इसे उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से पूर्ण होने वाली धनराशि में भी प्रदर्शित किया जायेगा। वर्ष के अन्त में उक्त व्यय की गयी धनराशि को उपरोक्त निधि के शीर्ष संख्या-8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ-200-अन्य निधियों के अधीन एक पृथक उपशीर्ष "03-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष" के व्यय पक्ष में पुस्तांकित किया जायेगा।
कोष के स्त्रोत	5-	(1) पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रशमन शुल्क से प्राप्त सकल धनराशि समेकित निधि के लेखाशीर्ष "0041-वाहन कर-101-भारतीय मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियॉ-02-प्रशमन शुल्क से प्राप्तियॉ-03-जुर्माना आदि से प्राप्तियॉ-0301-परिवहन विभाग द्वारा वसूली गयी धनराशि-0302-पुलिस विभाग (यातायात पुलिस/नागरिक पुलिस) द्वारा वसूली गयी धनराशि" (2) इस कार्यवाही से किसी वित्तीय वर्ष में एकत्रित की गयी धनराशि की 50 प्रतिशत् धनराशि परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार बजट प्राविधान अगले वित्तीय वर्ष में कराकर जमा करायी जायेगी।

		(3) यदि कोई वित्तीय अंशदान उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा कोष में किया जाता है, तो वह भी इस कोष में जमा कराया जायेगा।	
प्रादेशिक सीमा	6-	ऐसे कार्य जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य हैं, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किये जायेंगे।	
कोष की प्रबन्धन समिति	7-	(1) इस कोष के लिये परिवहन विभाग प्रशासनिक विभाग होगा और यह कोष निम्नवत् गठित समिति द्वारा संचालित किया जायेगा :-	
		1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
		2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		3. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		6. प्रमुख सचिव, विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		7. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		8. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		9. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
		11. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।	सचिव
		12. निदेशक, यातायात पुलिस, उत्तर प्रदेश।	सह-सचिव
		13. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य।	सदस्य
		(2) यह समिति "कोष की प्रबन्ध समिति" कही जायेगी। समिति के सभी सदस्य पदेन होंगे।	
		(3) एक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में कोष की प्रबन्ध समिति की कम से कम एक बैठक होगी।	
		(4) कोष की प्रबन्धन समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) 06 सदस्यों का होगा।	
कोष की प्रबन्धन समिति के अधिकार और कर्तव्य	8-	(1) समिति इस कोष से वित्त पोषित योजनाओं का चयन और उनका अनुमोदन करेगी। (2) समिति स्वीकृत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगी। (3) समिति नियमावली के अनुसार कोष के लेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करेगी।	
कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्तें	9-	कोष से वित्त पोषित होने वाली योजनाओं की शर्तें निम्नवत् होंगी :- (क) योजनाओं का चयन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे मानकों के अनुरूप किया जायेगा। (ख) कोष की धनराशि से केवल ऐसी योजनायें/परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जायेगा, जिन्हें केवल एक बार में ही पूरा किया जा सके।	

		(ग) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के सामान्य कार्मिकों के वेतन तथा स्थापना/कार्यालय व्यय का वेतन भुगतान कोष की प्रबन्धन समिति के अनुमोदनोपरान्त कोष से किया जायेगा। (घ) कोष से सम्बन्धित किसी भी धनराशि का विनिधान किसी भी दशा में ब्याज अर्जित करने के लिये सावधि जमा योजना में रखने अथवा ऋण पर देने के उद्देश्य से नहीं किया जायेगा। (ङ) कोष से स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत की गयी है।
कोष से करायी जाने वाली योजनायें/कार्य	10-	कोष द्वारा निम्नलिखित योजनायें/कार्य वित्त पोषित हो सकते हैं :- (क) सड़क सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित कार्य, जो निम्नलिखित होंगे :- (एक) दुर्घटना के मामले में जनसामान्य की सुरक्षा एवं मृत्यु की दर में कमी हेतु त्वरित आवश्यकता के अनिवार्य/नियामक चेतावनी एवं सूचनात्मक सडक संकेत के बोर्ड, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल्स आदि लगाया जाना/रख-रखाव, जहॉ अन्य विभागों द्वारा लगाया जाना/रख-रखाव किया जाना सम्भव न हो; (दो) सडक दुर्घटना के ऑकडों की रिपोर्टिंग, विश्लेषण तथा नियंत्रण हेतु "सडक दुर्घटना डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम" लागू करना; (तीन) सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किया जाना; (चार) दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करान हेतु एम्बुलेंस तथा अन्य सहवर्ती उपकरणों आदि का क्रय, उनके रख-रखाव, एम्बुलेंस के चालक का वेतन एवं प्रयुक्त होने वाले ईंधन आदि पर व्यय। उपरोक्त उद्देश्यों पर होने वाला व्यय परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-"3055-सडक परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सडक सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" से किया जायेगा। (पाँच) सड़क दुर्घटना के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात उनको सही करने/सुधार के उपाय निकालना तथा दुर्घटना बाहुल्य स्थानों का चिन्हांकन करना; (छः) यातायात प्रबन्धन एवं सडक सुरक्षा हेतु उपकरणों का क्रय एवं रख-रखाव करना; (सात) पुलिस विभाग के पास उपलब्ध क्रेनों के रख-रखाव एवं उपयोग हेतु आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना;

		(आठ) ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली को सुदृढ करने हेतु परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना कराना; (नौ) व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जॉच हेतु परिवहन कार्यालयों में वाहन निरीक्षण पिट की स्थापना कराना; (दस) सीएनजी चालित वाहनों की जॉच हेतु सचल जॉच संयंत्र उपलब्ध कराना। (ग्यारह) सुदृढ सड़क सुरक्षा का उपाय एवं यातायात प्रबन्धक के कोई अन्य कार्य जो कोष की प्रबन्धन समिति द्वारा उपयुक्त एवं लाभकारी समझा जाये।
		(ख) यातायात शिक्षा सम्बन्धित कार्य जो निम्नवत् होंगे :- (एक) अन्य विभागों के सहयोग से अथवा अन्यथा यातायात शिक्षा पार्कों की स्थापना करना; (दो) जनसामान्य में यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार करना; (तीन) बच्चों के बीच यातायात नियमों की जानकारी कराने हेतु विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना; (चार) यातायात प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार कराना; (पॉच) यातायात शिक्षा से सम्बन्धित उपस्कर का क्रय एवं उनका रख-रखाव करना; (छः) आडियो-वीडियो उपस्करों/कम्प्यूटर एवं अन्य उपसाधन से युक्त यातायात प्रचार-प्रसार वाहन क्रय करना और जनसामान्य को यातायात शिक्षा देने हेतु उनका उपयोग करना; (सात) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रदर्शनियों का आयोजन करना; (आठ) "यातायात सप्ताह", "यातायात माह", "यातायात त्रैमास" तथा अन्य क्रियाकलापों जैसे यातायात सेमिनार, बैठकों, रैली, प्रतियोगितायें एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रम आदि उत्तर प्रदेश के जनपदों में आयोजित कराना; (नौ) यातायात सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु विभिन्न स्तर के पुलिस, परिवहन, नगर विकास विभाग आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन; (दस) प्रदेश के बडे महानगरों में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सडक दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अध्ययन कराया जाना।
		(ग) यातायात प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य निम्नवत् होंगे :- आधुनिक यातायात प्रवर्तन उपकरणों आदि का क्रय, संचालन एवं रख-रखाव किया जाना।
कोष की प्रबन्धन समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की	11-	(1) परिवहन आयुक्त जिलों में परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग के फील्ड आफीसर से प्राप्त स्वप्रेरणा से तैयार किये गये प्रस्ताव/योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें कोष प्रबन्धन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे;

प्रक्रिया		(2) कोष प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तावों/परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिये जाने के उपरान्त वित्त पोषण के लिये औपचारिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ परिवहन विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।
कोष से वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व	12-	(1) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों का समन्वय परिवहन आयुक्त द्वारा किया जायेगा। कोष से वित्त पोषित उपयोगी उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत आदि का सही-सही क्रियान्वयन कराने व नियमित अनुश्रवण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा; (2) सम्बन्धित विभागध्यक्ष अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में योजनाओं के सफल् क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। वे योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे। योजनाओं के पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी का होगा; (3) अनुमोदित कार्यों से सम्बन्धित क्रय के मामलों में स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
कोष का अनुरक्षण और सम्परीक्षा	13-	(1) परिवहन आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों एवं कोषागार नियमों के अनुसार कोष से उपगत व्यय का उचित लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा उसका पुनर्मिलान कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, इलाहाबाद के अभिलेखों से किया जायेगा। वार्षिक लेखाबन्दी से पूर्व पुनर्मिलान कार्य सम्पादित किये जाने के साथ ही समायोजनों से सम्बन्धित आदेश समसामयिक रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, इलाहाबाद को उपलब्ध करा दिया जायेगा; (2) कोष में अन्तरित धनराशि में से वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष/ अनुपयोजित धन का राज्य के समेकित कोष में समर्पण के सम्बन्ध में यह व्यवस्था होगी कि राजस्व लेखे से लोक लेखे की कोष को जो धनराशि अन्तरित की जायेगी, उस धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। अनुपयोजित होने की दशा में वह धनराशि कोष में बची रहेगी। ऐसी धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित नहीं किया जायेगा। अनुपयोजित होने की दशा में कोष से व्यय प्रावधानों के अनुसार कार्यात्मक शीर्ष (राजस्व या पूँजी व्यय, जैसी भी स्थिति हो) में की गयी ठीक नियमानुसार समर्पित किया जाना होगा; (3) कोष की धनराशि को किसी परियोजना में विनिवेश नहीं किया जायेगा वरन नियम-10 में उल्लिखित उपयोगी कार्य कराये जायेंगे; (4) इस लेखों की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा की जायेगी;

		(5) कोष से आय तथा कोष से किये गये व्यय का विस्तृत विवरण परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को समय-समय पर एवं आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा; (6) यदि कोष से आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष में निर्धारित कार्यों/मदों में वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च नहीं की जा सकी है, तब अवशेष धनराशि का समर्पण निश्चित अवधि के भीतर लेखाशीर्ष में किया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित सूचना कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जायेगी; (7) यदि नियमावली में कोई उपान्तर/परिवर्तन/संशोधन करना हो, तो वह महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की पूर्व सहमति से किया जायेगा।

आज्ञा से,

ह0

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।